

प्रेस नोट

दिनांक 27-08-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत चोरी/लूट/डकैती के मुकदमें में वांछित सक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है-

1. विनोद राजभर उर्फ विनोदी पुत्र कल्लू राजभर नि0 पतेरवा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 32 वर्ष
2. रमेश यादव उर्फ बिल्लर पुत्र राम समुझ यादव नि0 खेमापुर थाना जंसा वाराणसी उम्र 35 वर्ष

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी

प्रेस नोट

थाना सारनाथ व लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर विशाल पासवान व विशाल प्रजापति गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद पीली धातु की सोने की चेन व अन्य सामान बरामद

दिनांक 26-08-2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अकथा चौराहे चेंकिंग की जा रही थी कि गश्त करते हुए चौकी प्रभारी लालपुर भी आ गये। तभी मुखबिर ने आकर सूचना दी कि 02 व्यक्ति बेनीपुर देशी ठेका के पास गुमती के पीछे बैठें हैं तथा अपने हाथों में लोहे की रॉड व टार्च लियें हैं और आपस में चोरी करने की बात कर रहे हैं। उक्त सूचना पर 02 व्यक्तियों को बेनीपुर देशी शराब ठेका के पास पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम-पता पूछने पर पहले ने अपना नाम विशाल पासवान उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र दिलीप पासवान निवासी ग्राम-ओंगापुर, थाना-चेरिया बाजारपुर, जिला-बेगूसराय (बिहार) हाल पता- लवली पीच धर्मराज ठेकेदार बाउन्डी वाल के अंदर, थाना-सारनाथ, जनपद-वाराणसी जिसके पास से 01 अदद प्लास्टिक का टार्च, 01 अदद पीली धातु की सोने की चेन व 510 रूपये नगद बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम विशाल प्रजापति उम्र करीब-19 वर्ष पुत्र स्व0 दीना नाथ प्रजापति निवासी-घुरूआ, थाना-पड़री, जनपद मिर्जापुर हालपता-अकथा चौराहे के पास (कल्लू यादव के मकान में किरायेदार) थाना-सारनाथ, जनपद- वाराणसी बताया जिसके पास से 01 अदद लोहे की रॉड व 490/- रूपये नगद बरामद हुआ।

विवरण पूछताछ-

कड़ाई से पूछताछ पर विशाल प्रजापति ने बताया कि आज से करीब 02 माह पहले मित्र धाम कालोनी शक्तिपीठ बरईपुर में विशाल कुमार, अर्जुन राजभर, गुलाब हरिजन, राम प्रसाद सोनकर के साथ मिलकर LED TV, मोबाईल, प्रेस, पंखा व 5000/- नगद एक घर में ताला तोड़ कर चोरी किये थे, चोरी के रूपये को हम लोग खाने पीने में खर्च कर दिये। पुनः पूछताछ पर बताया कि आज से करीब डेढ़ माह पहले मैं तथा मेरे साथी विशाल कुमार, अर्जुन राजभर, गुलाब हरिजन व राम प्रसाद सोनकर के साथ मिलकर बुद्ध नगर कालोनी में एक घर का ताला तोड़कर साइकिल, लैपटाप, इनवर्टर बैट्री व कुछ कपड़ों को चोरी किये थे, कुछ समानों को राह चलते राहगीरों को बेच दिये थे और मिले रूपये मौज- मस्ती में खर्च कर दिये। पुनः पूछताछ पर बताया कि आज से करीब 01 माह पहले मैं तथा विशाल कुमार अर्जुन राजभर, गुलाब हरिजन व राम प्रसाद सोनकर के साथ मिलकर बुद्ध नगर कालोनी में एक घर का ताला तोड़ कर चोरी

किये थे जहाँ से लैपटाप, LED TV, सोने की चेन, अंगुठी, ट्राली बैग व 5000/- नगद मिले, जिसे हम लोगों ने आपस में बाट लिया था और मुझे हिस्से में मिला रूपया खर्च हो गया।

आरोपी विशाल पासवान से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि मैं तथा हर्ष दुबे, बादशाह, व बालू तगड़ा उर्फ किशन साथ मिलकर आस से करीब 10 दिन पहले शंकर पुरम कालोनी में एक घर में घुसकर 01 सोने की चेन चोरी किये थे जो मेरे पास से बरामद किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- विशाल पासवान S/O दिलीप पासवान R/O ग्राम- ओंगापुर थाना- चेरिया बाजार पुर जिला – बेगूसराय (बिहार) हाल पता- लवली पीच धर्मराज ठेकेदार बाउन्डी वाल के अंदर थाना- सारनाथ जनपद- वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष
- विशाल प्रजापति S/O स्व दीना नाथ प्रजापति R/O घुरूआ थाना- पड़री, जनपद मिर्जापुर हालपता- अकथा चौराहे के पास (कल्लू यादव के मकान में किरायेदार) थाना- सारनाथ जनपद- वाराणसी उम्र करीब – 19 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0484/2020 धारा 401 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
2. मु0अ0सं0 458/2020 धारा 457, 380, 411,414 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
3. मु0अ0सं0 357/2020 धारा 457, 380 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
4. मु0अ0सं0 0372/2020 धारा 457, 380 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
5. मु0अ0सं0 390/2020 धारा 457, 380 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
6. मु0अ0सं0 111/2020 धारा 457, 380, 411,414 भादवि थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद सोने की चेन
2. एक अदद प्लास्टिक की टार्च
3. 1000 रूपया नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 संतोष कुमार यादव, थाना सारनाथ वाराणसी
2. उ0नि0 विनायक सिंह, थाना सारनाथ वाराणसी
3. उ0नि0 राहुल रंजन, थाना लालपुर पाण्डेयपुर, वाराणसी
4. का0 राकेश कुमार थाना सारनाथ वाराणसी

5. का0 अखिलेश कुमार थाना सारनाथ वाराणसी

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

दिनांक 26.08.2020 को थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 45/2020 धारा 363,366,354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज सेठ उम्र-23 वर्ष, पुत्र गुलाब सेठ, निवासी- प्लाट नं0 37 ढेलवरिया चौकाघाट, थाना जैतपुरा, वाराणसी को काली मंदिर के पास चौकाघाट से समय 22.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- पंकज सेठ उम्र-23 वर्ष, पुत्र गुलाब सेठ, निवासी- प्लाट नं0 37 ढेलवरिया चौकाघाट, थाना जैतपुरा, वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 मुरलीधर, उ0नि0 दिलेश सरोज, उ0नि0 अखिलेश कुमार वर्मा व हे0का0 गौरीशंकर राम शर्मा थाना दशाश्वमेध वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.08.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर का टॉप-10/ वांछित/ एचएस अपराधी प्रदीप गौड़, रिन्कू राजभर व रवि सोनकर गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद कट्टा मय एक अदद कारतूस व 2.650 किलोग्राम गांजा बरामद

आज दिनांक 27.08.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में 30नि0 राज कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी मय हमराह के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी, संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में काली माता मन्दिर चौराहे पर मामूर थे कि तीन व्यक्ति आवास-विकास कालोनी की तरफ से आते हुये दिखायी दिये, पुलिस वालों को देखकर रुक गये, को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम प्रदीप गौड़ पुत्र स्व0 नन्दलाल उर्फ नन्दू गौड़ निवासी एस 9/341 नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 30 वर्ष बताया, के पास से एक अदद कट्टा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रिन्कू राजभर पुत्र बजरंगी राजभर निवासी सोयेपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष बताया, के पास से 1.350 किलोग्राम गांजा तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम रवि सोनकर पुत्र कैलाश सोनकर निवासी छोटा लालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 29 वर्ष बताया, के पास से 1.300 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तगण रिन्कू राजभर व रवि सोनकर उपरोक्त की पहचान थाना स्थानीय के टॉप-10 अपराधी के रूप में हुई है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पर (1) मु0अ0सं0 112/2020 धारा 3/25 A.Act बनाम प्रदीप गौड़ (वांछित मु0अ0सं0 36/2020 धारा 323/504/341 आईपीसी), (2) मु0अ0सं0 113/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रिन्कू राजभर (टॉप-10) एवं (3) मु0अ0सं0

114/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रवि सोनकर (टॉप-10/HS) अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- प्रदीप गौड़ पुत्र स्व० नन्दलाल उर्फ नन्दू गौड़ निवासी एस 9/341 नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 30 वर्ष।
- रिन्कू राजभर पुत्र बजरंगी राजभर निवासी सोयेपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष।
- रवि सोनकर पुत्र कैलाश सोनकर निवासी छोटा लालपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. *प्रदीप गौड़ का आपराधिक इतिहास*
 - i) मु०अ०स० 36/2020 धारा 323/504/341 आईपीसी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।
 - ii) मु०अ०स० 112/2020 धारा 3/25 A.Act थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी।
2. *रिन्कू राजभर का आपराधिक इतिहास*
 - i) मु०अ०स० 306/18 धारा 147/323/504 भा०द०वि० थाना कैण्ट
 - ii) मु०अ०स० 1092/17 धारा 323/504/506 भा०द०वि० थाना कैण्ट
 - iii) मु०अ०स० 1109/19 धारा 392 भा०द०वि० थाना कैण्ट
 - iv) मु०अ०स० 1285/19 धारा 394/427 भा०द०वि० थाना कैण्ट
 - v) मु०अ०स० 111/16 धारा 307/34 भा०द०वि० थाना लक्सा
 - vi) मु०अ०स० 115/16 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना लक्सा
3. *रवि सोनकर का आपराधिक इतिहास*
 - i) मु०अ०स० 658/17 धारा 380/457 भा०द०वि० थाना शिवपुर
 - ii) मु०अ०स० 418/20 धारा 143/269/270/341 भा०द०वि० थाना कैण्ट

iii)मु0अ0स0 0063/19 धारा 323/336/342/504/506 भा0द0वि0

थाना कैण्ट

iv)मु0अ0स0 403/19 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना भेलूपुर

v)मु0अ0स0 0663/17 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट

vi)मु0अ0स0 842/19 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना कैण्ट

vii)मु0अ0स0 0037/20 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कैण्ट

viii)मु0अ0स0 137/18 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना सारनाथ

ix)मु0अ0स0 128/18 धारा 307 भा0द0वि0 थाना सारनाथ

x)मु0अ0स0 581/17 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना शिवपुर

xi)मु0अ0स0 792/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी
क्रियाकलाप अधिनियम थाना शिवपुर

xii)मु0अ0स0 73/19 धारा 401 भा0द0वि0 थाना जीआरपी वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद कट्टा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर।
- 2.650 किलोग्राम गांजा।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

- दिनांक 27.08.2020 को समय-02.10 बजे, पाण्डेयपुर आवास-विकास कालोनी मोड़ थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय थाना लालपुर पाण्डेयपुर, उ०नि० राज कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर, उ०नि० राहुल रंजन चौकी प्रभारी लालपुर, उ०नि० सुनील कुमार यादव चौकी प्रभारी पहड़िया, उ०नि० हरिशंकर, का० हरिन्द्र सिंह यादव, का० ओमप्रकाश यादव, का० संतोष वर्मा, का० आशीष उमरांव, का० सिन्धु कुमार व हे०का० रामनरायन दूबे थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

(पी०आर०सेल)

जनपद वाराणसी



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 168/ 2020 दिनांक: अगस्त, 27/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक नगर/ अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में दिनांक 27.08.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2020 धारा 377/506 भा0द0वि0 व ¾ लैगिंग अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट, संशोधन 2015 के वांछित अभियुक्त राकेश वर्मा को मुखबिर की सहायता से मुकदमा पंजीकृत होने के 03 घण्टे के अंदर ही गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राकेश वर्मा पुत्र स्व0 भानू वर्मा निवासी एस-4/74 एफ-1 नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी उम्र 40 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, उ0नि0 सन्दीप कुमार यादव, हे0का0 जेपी सिंह, का0 पंकज सिंह व का0 योगेन्द्र कुमार थाना लालपुर-पाण्डेयपुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

आज दिनांक 27.08.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 46/2020 धारा 419/420/406/467/468/471/120(बी)/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त राजीव प्रजापति उम्र 40 वर्ष, पुत्र राम चन्द्र प्रजापति, निवासी-कुम्हारा फुलवरिया, थाना-कैण्ट, वाराणसी को कैण्ट रोडवेज स्टेशन से समय 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राजीव प्रजापति उम्र 40 वर्ष, पुत्र राम चन्द्र प्रजापति, निवासी-कुम्हारा फुलवरिया, थाना-कैण्ट, वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 46/2020 धारा 419/420/406/467/468/471/120(बी)/504/506 भादवि थाना सिगरा वाराणसी।
- मु0अ0सं0 342/2020 धारा 420/406/504/506 आईपीसी व 3(1)(द)(ध) 3(2)(va)SC/ST Act थाना कैण्ट वाराणसी।
- मु0अ0सं0 367/20 धारा 419/420/406/467/468/471/120बी /34/504/506 आईपीसी व 3(2)(v)SC/ST Act थाना कैण्ट वाराणसी।
- मु0अ0सं0 368/20 धारा 419/420/406/467/468/471/120बी /34/504/506 आईपीसी व 3(2)(v)SC/ST Act थाना कैण्ट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. व0उ0नि0 श्री अमित कुमार मिश्रा थाना सिगरा वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अजीत पासवान थाना सिगरा वाराणसी।
3. का0 भरत सिंह थाना सिगरा वाराणसी।
4. का0 विपिन यादव थाना सिगरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 27-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 50 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *273 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1476 वाहनों का चालान, 02 वाहनों को सीज तथा 576 वाहनों से रु0-4,21,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 27-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 2162 व्यक्तियों से रु0-1,39,250/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी